



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267790
CG-DL-E-19112025-267790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5083]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 5083]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5253(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में ईस्टर्न बाईपास के कि.मी. 98.300 से कि.मी. 105.830 (बिचोली हप्सी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिचौली हप्सी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में ईस्टर्न बाईपास के कि.मी. 98.300 से कि.मी. 105.830 (बिचोली हपसी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: इंदौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बिचोली हापसी					
गांव का नाम: तिल्लोर बुजुर्ग					
1	11	निजी	सिंचित	0.1138 (हेक्टेयर)	0.1138
2	12/310, 15/311	सरकारी	वन	6.0776 (हेक्टेयर)	6.0776
3	123	सरकारी	नदी	0.0895 (हेक्टेयर)	0.0895
4	124	सरकारी	चारागाह	0.0517 (हेक्टेयर)	0.0517
5	125	सरकारी	नाला	0.126 (हेक्टेयर)	0.126
6	126	सरकारी	नाला	0.0562 (हेक्टेयर)	0.0562
7	127	निजी	सिंचित	1.8039 (हेक्टेयर)	1.8039
8	128	निजी	सिंचित	0.2209 (हेक्टेयर)	0.2209
9	129	निजी	सिंचित	0.0763 (हेक्टेयर)	0.0763
10	13	निजी	सिंचित	0.4927 (हेक्टेयर)	0.4927
11	138	निजी	सिंचित	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
12	14	निजी	सिंचित	1.6884 (हेक्टेयर)	1.6884
13	15/1/1	निजी	सिंचित	0.0049 (हेक्टेयर)	0.0049
14	15/2	निजी	सिंचित	0.4456 (हेक्टेयर)	0.4456
15	160	सामान्य	असिंचित/सिंचित	1.3814 (हेक्टेयर)	1.3814
16	17	सामान्य	असिंचित/सिंचित	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
17	2	सरकारी	असिंचित	0.0212 (हेक्टेयर)	0.0212
18	272	निजी	सिंचित	0.0673 (हेक्टेयर)	0.0673
19	273	निजी	सिंचित	0.5425 (हेक्टेयर)	0.5425
20	275	निजी	सिंचित	0.6193 (हेक्टेयर)	0.6193
21	276	सरकारी	रास्ता	0.1686 (हेक्टेयर)	0.1686
22	277	निजी	सिंचित	0.492 (हेक्टेयर)	0.492
23	28	निजी	सिंचित	1.8268 (हेक्टेयर)	1.8268
24	282	निजी	सिंचित	0.3067 (हेक्टेयर)	0.3067

25	284	निजी	सिंचित	0.7239 (हेक्टेयर)	0.7239
26	285	निजी	सिंचित	0.5324 (हेक्टेयर)	0.5324
27	286	निजी	सिंचित	0.5352 (हेक्टेयर)	0.5352
28	287	सामान्य	सिंचित/असिंचित	0.3339 (हेक्टेयर)	0.3339
29	288	सरकारी	रास्ता	0.052 (हेक्टेयर)	0.052
30	289	सामान्य	असिंचित/सिंचित	3.1321 (हेक्टेयर)	3.1321
31	29	निजी	सिंचित	0.2478 (हेक्टेयर)	0.2478
32	290	निजी	सिंचित	0.247 (हेक्टेयर)	0.247
33	296	सरकारी	असिंचित	0.0172 (हेक्टेयर)	0.0172
34	3	सरकारी	असिंचित	0.6031 (हेक्टेयर)	0.6031
35	30	निजी	सिंचित	0.0261 (हेक्टेयर)	0.0261
36	300	सरकारी	रास्ता	0.0866 (हेक्टेयर)	0.0866
37	31	निजी	सिंचित	0.0097 (हेक्टेयर)	0.0097
38	33	निजी	सिंचित	0.3631 (हेक्टेयर)	0.3631
39	34	निजी	सिंचित	0.8472 (हेक्टेयर)	0.8472
40	35	निजी	सिंचित	0.2855 (हेक्टेयर)	0.2855
41	39	निजी	सिंचित	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
42	49	निजी	सिंचित	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
43	50	निजी	सिंचित	0.274 (हेक्टेयर)	0.274
44	52	निजी	सिंचित	0.364 (हेक्टेयर)	0.364
45	53	निजी	सिंचित	0.1452 (हेक्टेयर)	0.1452
46	54	निजी	सिंचित	0.2539 (हेक्टेयर)	0.2539
47	55	निजी	सिंचित	0.0653 (हेक्टेयर)	0.0653
48	6	निजी	सिंचित	0.4926 (हेक्टेयर)	0.4926
49	63	निजी	सिंचित	0.2736 (हेक्टेयर)	0.2736
50	7	निजी	सिंचित	0.3828 (हेक्टेयर)	0.3828
51	8	निजी	सिंचित	1.1277 (हेक्टेयर)	1.1277
52	9	निजी	सिंचित	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177
गांव का नाम: बेरछा					
53	1	सरकारी	नदी	0.5111 (हेक्टेयर)	0.5111
54	3	सरकारी	वन	6.5254 (हेक्टेयर)	6.5254
गांव का नाम: तिन्हा					
55	102	सरकारी	नाला	0.0052 (हेक्टेयर)	0.0052
56	104	निजी	सिंचित	0.573 (हेक्टेयर)	0.573
57	105	निजी	सिंचित	0.6925 (हेक्टेयर)	0.6925
58	106	निजी	सिंचित	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126

59	107	निजी	सिंचित	0.4595 (हेक्टेयर)	0.4595
60	108	निजी	सिंचित	0.7442 (हेक्टेयर)	0.7442
61	112	सरकारी	नदी	0.332 (हेक्टेयर)	0.332
62	36	निजी	सिंचित	0.0254 (हेक्टेयर)	0.0254
63	39/2	निजी	सिंचित	0.4333 (हेक्टेयर)	0.4333
64	40	निजी	सिंचित	0.6471 (हेक्टेयर)	0.6471
65	41	निजी	सिंचित	0.7822 (हेक्टेयर)	0.7822
66	42	निजी	सिंचित	0.7869 (हेक्टेयर)	0.7869
67	43	निजी	सिंचित	0.9714 (हेक्टेयर)	0.9714
68	44	निजी	सिंचित	0.0921 (हेक्टेयर)	0.0921
69	83	निजी	सिंचित	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
70	93	निजी	सिंचित	0.1619 (हेक्टेयर)	0.1619
71	94	निजी	सिंचित	0.1067 (हेक्टेयर)	0.1067
72	95	निजी	सिंचित	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
73	96	निजी	सिंचित	1.3665 (हेक्टेयर)	1.3665
74	97	निजी	सिंचित	0.6502 (हेक्टेयर)	0.6502
75	98/1	निजी	सिंचित	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
76	99	निजी	सिंचित	0.7749 (हेक्टेयर)	0.7749
Total					44.8305

[फा. सं. NHAI/PIU-Indore/IndoreRingRoad/Eastern-Bypass/2023/232938/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2025

S.O. 5253(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four/six laning etc.), maintenance, management and operation of Indore Eastern Bypass in the stretch of land from Km. 98.300 to Km. 105.830 (Bicholi Hapsi) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, sub divisional officer (revenue), Bicholi Hapsi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Indore Eastern Bypass in the stretch of land from Km. 98.300 to Km. 105.830 (Bicholi Hapsi) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: INDORE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bicholi Hapsi					
Village: Tillor Buzurg					
1	11	Private	Irrigated	0.1138 (Hectare)	0.1138
2	12/310, 15/311	Government	Forest	6.0776 (Hectare)	6.0776
3	123	Government	River	0.0895 (Hectare)	0.0895
4	124	Government	Charagah	0.0517 (Hectare)	0.0517
5	125	Government	Naala	0.126 (Hectare)	0.126
6	126	Government	Naala	0.0562 (Hectare)	0.0562
7	127	Private	Irrigated	1.8039 (Hectare)	1.8039
8	128	Private	Irrigated	0.2209 (Hectare)	0.2209
9	129	Private	Irrigated	0.0763 (Hectare)	0.0763
10	13	Private	Irrigated	0.4927 (Hectare)	0.4927
11	138	Private	Irrigated	0.024 (Hectare)	0.024
12	14	Private	Irrigated	1.6884 (Hectare)	1.6884
13	15/1/1	Private	Irrigated	0.0049 (Hectare)	0.0049
14	15/2	Private	Irrigated	0.4456 (Hectare)	0.4456
15	160	Common	Non Irrigated/Irrigated	1.3814 (Hectare)	1.3814
16	17	Common	Non Irrigated/Irrigated	0.0028 (Hectare)	0.0028
17	2	Government	Non Irrigated	0.0212 (Hectare)	0.0212
18	272	Private	Irrigated	0.0673 (Hectare)	0.0673
19	273	Private	Irrigated	0.5425 (Hectare)	0.5425
20	275	Private	Irrigated	0.6193 (Hectare)	0.6193
21	276	Government	Rasta	0.1686 (Hectare)	0.1686
22	277	Private	Irrigated	0.492 (Hectare)	0.492
23	28	Private	Irrigated	1.8268 (Hectare)	1.8268
24	282	Private	Irrigated	0.3067 (Hectare)	0.3067
25	284	Private	Irrigated	0.7239 (Hectare)	0.7239
26	285	Private	Irrigated	0.5324 (Hectare)	0.5324
27	286	Private	Irrigated	0.5352 (Hectare)	0.5352
28	287	Common	Irrigated/Non	0.3339 (Hectare)	0.3339

			Irrigated		
29	288	Government	Rasta	0.052 (Hectare)	0.052
30	289	Common	Non Irrigated/Irrigated	3.1321 (Hectare)	3.1321
31	29	Private	Irrigated	0.2478 (Hectare)	0.2478
32	290	Private	Irrigated	0.247 (Hectare)	0.247
33	296	Government	Non Irrigated	0.0172 (Hectare)	0.0172
34	3	Government	Non Irrigated	0.6031 (Hectare)	0.6031
35	30	Private	Irrigated	0.0261 (Hectare)	0.0261
36	300	Government	Rasta	0.0866 (Hectare)	0.0866
37	31	Private	Irrigated	0.0097 (Hectare)	0.0097
38	33	Private	Irrigated	0.3631 (Hectare)	0.3631
39	34	Private	Irrigated	0.8472 (Hectare)	0.8472
40	35	Private	Irrigated	0.2855 (Hectare)	0.2855
41	39	Private	Irrigated	0.0039 (Hectare)	0.0039
42	49	Private	Irrigated	0.0004 (Hectare)	0.0004
43	50	Private	Irrigated	0.274 (Hectare)	0.274
44	52	Private	Irrigated	0.364 (Hectare)	0.364
45	53	Private	Irrigated	0.1452 (Hectare)	0.1452
46	54	Private	Irrigated	0.2539 (Hectare)	0.2539
47	55	Private	Irrigated	0.0653 (Hectare)	0.0653
48	6	Private	Irrigated	0.4926 (Hectare)	0.4926
49	63	Private	Irrigated	0.2736 (Hectare)	0.2736
50	7	Private	Irrigated	0.3828 (Hectare)	0.3828
51	8	Private	Irrigated	1.1277 (Hectare)	1.1277
52	9	Private	Irrigated	0.0177 (Hectare)	0.0177
Village: Berchha					
53	1	Government	River	0.5111 (Hectare)	0.5111
54	3	Government	Forest	6.5254 (Hectare)	6.5254
Village: Tinchha					
55	102	Government	Naala	0.0052 (Hectare)	0.0052
56	104	Private	Irrigated	0.573 (Hectare)	0.573
57	105	Private	Irrigated	0.6925 (Hectare)	0.6925
58	106	Private	Irrigated	0.0126 (Hectare)	0.0126
59	107	Private	Irrigated	0.4595 (Hectare)	0.4595
60	108	Private	Irrigated	0.7442 (Hectare)	0.7442
61	112	Government	River	0.332 (Hectare)	0.332
62	36	Private	Irrigated	0.0254 (Hectare)	0.0254
63	39/2	Private	Irrigated	0.4333 (Hectare)	0.4333
64	40	Private	Irrigated	0.6471 (Hectare)	0.6471

65	41	Private	Irrigated	0.7822 (Hectare)	0.7822
66	42	Private	Irrigated	0.7869 (Hectare)	0.7869
67	43	Private	Irrigated	0.9714 (Hectare)	0.9714
68	44	Private	Irrigated	0.0921 (Hectare)	0.0921
69	83	Private	Irrigated	0.028 (Hectare)	0.028
70	93	Private	Irrigated	0.1619 (Hectare)	0.1619
71	94	Private	Irrigated	0.1067 (Hectare)	0.1067
72	95	Private	Irrigated	0.0042 (Hectare)	0.0042
73	96	Private	Irrigated	1.3665 (Hectare)	1.3665
74	97	Private	Irrigated	0.6502 (Hectare)	0.6502
75	98/1	Private	Irrigated	0.0002 (Hectare)	0.0002
76	99	Private	Irrigated	0.7749 (Hectare)	0.7749
Total					44.8305

[F. No. NHAI/PIU-Indore/IndoreRingRoad/Eastern-Bypass/2023/232938/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director